(9) (101)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय केम्प इन्दौर ::

निग 13666-PBR-15

01 धनश्याम पिता हेमराज ब्रजवासी,आयु 50 वर्ष,
02 राधेश्याम पिता सालगराम अगाल,आयु 60 वर्ष,
03 लालु पिता सदाशिव सोनाने,आयु 42 वर्ष,
04 रामकिशन पिता हेमराज ब्रजवासी,आयु 58 वर्ष,
05 शब्बर पिता मोहम्मद हुसैन बोहरा,आयु 48 वर्ष,
06 अमित पिता ओमप्रकाश माहेश्वरी, आयु 32 वर्ष,
07 कैलाश पिता हिरालाल चमार,आयु 55 वर्ष,
08 प्रदीप पिता कांतिलाल अगाल,आयु 45 वर्ष,
09 महेश पिता सीताराम सेन,आयु 38 वर्ष,
10 जलालुददीन पिता कुतुबुददीन मुसलमान,आयु 56 वर्ष,

सभी निवासी बाग तहसील कुक्षी जिला,
धार(मध्य प्रदेश) .....आवेदकगण

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री राहुल चौधरी
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26/9/15 को प्रस्तुत।
1525
26.09.2015
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्व

रणछोड पिता तेजाजी सिर्वी,आयु 42 वर्ष,
धंदा खेती निवासी बाग तहसील कुक्षी जिला
धार मध्य प्रदेश ......अनावेदक

विपय:- पुनरिक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अंतर्गत

माननीय महोदय,

सेवामे आवेदकगण की और से निम्नानुसार रिव्हीजन प्रस्तुत है :-

अनावेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय कुक्षी के समक्ष सीमाकन हेतु आवेदनपत्र धारा 129 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अतर्गत प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण कमांक 07/अ-12/2014-15 पर दर्ज होकर ,उक्त प्रकरण मे माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हलका पटवारी एवं राजस्व निरिक्षक को सीमकान कर पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था। हलका पटवारी के द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिती मे तथा बिना सुचना दिये एक पक्षिय रूप से पंचनामा एवं प्रतिवेदन दिनांक 17.03.15 को बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.15 को उक्त सीमाकंन पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रकरण मे सलग्न कर प्रकरण

.......2.......पर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 3666-पीबीआर/15 जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से श्री राहुल राठौर अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री अजय कानूनगो उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** रीडर **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	